न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 141/17 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2017/00587

अनवान्

1. श्री उदयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी मारूवास तहसील मावली।
2. श्री निर्भयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी मारूवास तहसील मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विजयसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी मारूवास तहसील मावली।
2. श्री सोहनसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी मारूवास तहसील मावली।
3. श्री जालमसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी मारूवास तहसील मावली।
4. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री भूरसिंह राजपूत पत्नी रामसिंह निवासी वरावलिया देलवाडा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती वसनीबाई पुत्री भूरसिंह राजपूत पत्नी गमेरसिंह निवासी कमली का गुडा देलवाडा जिला राजसमन्द।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 08.01.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील मावली की आराजी नम्बर 482 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा उपरोक्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है जबकि पूर्व में उक्त आराजीयात हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 व 7 के पिता जी के नाम दर्ज थी।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त पैमाईश विपक्षीगण 1 से 5 के पिता जी भूरसिंह एवं उसकी विधवा भाभी डाउबाई बेवा जगन्नाथसिंह राजपूत के नाम कर दी जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात शुरू से हम प्रार्थीगण के पिता जी के नाम पर होकर उनके ही अधिकार आधिपत्य में थी तथा उनका निधन हो जाने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजीयात हम प्रार्थीगण को प्राप्त हुई, हम प्रार्थीगण एवं हमारी बहनों ने हमारे पिता जी की सम्पूर्ण जायदाद हमारे पक्ष में जरिये हक त्याग हस्तान्तरित कर दी तथा शादी के बाद ससुराल ही निवास करने से इनका उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कोई कब्जा नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:54 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी भूरसिंह एवं डाउबाई का कब्जा नही रहा तथा न ही वर्तमान में विपक्षीगण 1 से 5 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा है। वक्त पैमाईश अमीन एवं तत्कालीन राजस्व कर्मियों ने भूरसिंह एवं डाउबाई को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए एक फर्जी खसरा परिशोधन पत्र तैयार कर उसमें मनमकसुद हस्ताक्षर एवं अगुंठे कर हमारे पिता जी के नाम की आराजीयात भूरसिंह एवं डाउबाई के नाम पर कर दी, जबकि आज भी वादग्रस्त आराजीयात हम प्रार्थीगण के कब्जे में है तथा हमारे पिता जी ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादग्रस्त आराजीयात भूरसिंह एवं डाउबाई के नाम कराने की बात हम प्रार्थीगण को नहीं बताई तथा न ही कथित खसरा परिशोधन में रद्दोबदल का आदेश देने वाले अधिकारियों के पदनाम एवं नाम पते अंकित हैं। वादग्रस्त आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व हम प्रार्थीगण के पिता जी के नाम थी जिसे एक फर्जी दस्तावेज के जरिये भूरसिंह एवं डाउबाई के नाम कर दी एवं विरासत एवं विक्रय के आधार पर वर्तमान में उक्त आराजीयात विपक्षीगण 1 से 5 के नाम अंकित हो गई चूंकि भूरसिंह एवं डाउबाई का ना ही गलत तरीके से दर्ज हुआ, इसलिए पश्चात्वर्ती अंकन के आधार पर विपक्षीगण 1 से 5 का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में हम प्रार्थीगण के पिता जी के नाम दर्ज होने एवं गलत दस्तावेज के आधार पर इनका नाम हटा देने से एवं हमारे पिता जी का निधन हो जाने से विरासत के आधार पर हम प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम खातेदारी अधिकार से घोषित करवाने के अधिकारी हैं। विपक्षीगण का नाम वादग्रस्त आराजीयात में गलत तरीके से दर्ज हुआ है तथा वादग्रस्त आराजीयात में कब्जा भी हम प्रार्थीगण का है, इसलिए हम प्रार्थीगण हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने की विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं। हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है वादग्रस्त जमीन हम प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य की होने तथा विरासत से प्राप्त होने से सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा हम प्रार्थीगण को खातेदार घोषित करने से किसी को कोई क्षति कारित होने की संभावना नहीं हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.07.2017 को पैदा हुआ जब विपक्षीगण को हमारे द्वारा कहने के बावजूद उन्होने वादग्रस्त आराजीयात हमारे नाम कराने से इन्कार कर दिया और दखलन्दाजी करने की धमकी दी से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि अंतिम निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से के कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:54 IST
Reason: SelfAttested

दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट से करावे तथा न ही उक्त वर्णित आराजीयात को किसी भी प्रकार से रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे एवं प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 4, 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज है। विपक्षी संख्या 4 व 5 ने हक त्याग कर दिया। पूर्व में उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पिता देवीसिंह जी ने अदला बदली कर उक्त आराजीयात हमारे पिताजी के नाम एवं जगन्नाथ जी के नाम पर तथा आराजी नम्बर 478 हमारे पिताजी एवं डाउबाई ने देवीसिंह के नाम अदला बदली कि उसके आधार पर भूरसिंह के हस्ताक्षर है देवीसिंह के अगुंष्ठ व डाउबाई के अगुंष्ठ हैं। खसरा सेटलमेन्ट में 2003 में भूरसिंह पिता डुंगरसिंह के नाम पर थी। विपक्षी संख्या 6 तहसीलदार मावली एवं विपक्षीगण संख्या 7 कोई पक्षकार नहीं हैं। उक्त आराजीयात पर हमारा ही कब्जा हैं। पैमाईश अमीन एवं राजस्व कर्मियों ने कोई भूरसिंह एवं डाउबाई को नाजायज फायदा नहीं पहुंचाया है न ही फर्जी खसरा परिशोधन पत्र तैयार किया गया। जबकि सही बात यह है कि खसरा परिशोधन में आराजी नम्बर 478 एवं 482 अदला बदली कि इस तरह 482 हमारे खाते दर्ज हुई तथा 478 वादी के पिता जी के खाते दर्ज हुई। जिस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं तथा दौराने सेटलमेन्ट अदला बदली के आधार पर सेटलमेन्ट अधिकारियों ने स्वीकृति दी है उन पर सभी के हस्ताक्षर एवं अगुंष्ठ निशानी हैं। प्रार्थीगण ने जानबुझकर सारे गलत तथ्य अंकित किये है। देवीसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी उजर नहीं उठाया, उनके मरने के 30 वर्ष बाद गलत तथ्य उठाकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण ने यह भी लिखा है कि खसरा परिशोधन में आराजी नम्बर 478 जो हम विपक्षीगण के पिता भूरसिंह के नाम पर थी अदला बदली में प्रार्थीगण के पिता के नाम पर हुई यह भी नहीं लिखा तथा यह तथ्य छिपाया गया हैं। इस तरह प्रार्थीगण ने नेक नियति से यह प्रार्थना पत्र नहीं किया। सेटलमेन्ट अधिकारियों को कानूनन यह अधिकार था कि वे पक्षकारों कि सहमति से रद्दोबदल कर सकते थे और उसी अधिकार से उन्होने पक्षकार कि सहमति से यह रद्दोबदल किया। अब इनको चेलेन्ज करने का अधिकार नहीं हैं।

8. यह कि किसी भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन भूरसिंह एवं डाउबाई के नाम पर दर्ज नहीं हुई है बल्कि सेटलमेन्ट अधिकारी ने पक्षकारो कि सहमति से अदला बदली के आधार पर उक्त जमीन भूरसिंह एवं डाउबाई के नाम पर सही दर्ज हुई है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:54 IST
Reason: SelfAttested

ने यह भी अंकित नहीं किया कि फर्जी दस्तावेज क्या था वो फर्जी दस्तावेज किसने बनाया ऐसा उल्लेख भी नहीं किया जबकि खसरा परिशोधन में पक्षकारों के हस्ताक्षर एवं अगुंष्ठ निशानी मौजूद है जो बिल्कुल सही है फर्जी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह उक्त जमीन लम्बे समय से भूरसिंह एवं डाउबाई के खातेदारी में चली आ रही थी और डाउबाई को अपना हक विक्रय करने का पूरा अधिकार था उसी अधिकार से विक्रय हुआ हैं। इस तरह हम विपक्षी संख्या 1 से 5 उक्त आराजीयात के स्वामी है और खातेदार है और हमारा पूरा अधिकार है तथा कब्जा भी हमारा चला आ रहा हैं।

9. यह कि प्रार्थीगण ने किस साल और सम्वत् में यह आराजी प्रार्थी के नाम पर थी तथा किस दस्तावेज से नाम से हटी तथा यह भी नही लिखा कि प्रार्थीगण के पिताजी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी अपने नाम पर दर्ज कराने कि कार्यवाही क्यों नहीं कि इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता यह जानते थे कि उन्होने राजी–खुशी अदला बदली की है और खसरा परिशोधन में उनके पिताजी ने सही अगुंष्ठ निशानी की है। इसलिए उन्होने कोई कार्यवाही नहीं कि हैं। चूंकि वर्तमान में जमीनों के भाव बढ गये है इसलिए प्रार्थीगण के मन में लोभ व लालच की भावना जागृत हुई और इसी भावना से कुठित होकर यह गलत प्रार्थना पत्र केवल विपक्षीगण को परेशान व हैरान करने के लिए लगाया है जबकि प्रार्थीगण का इस आराजीयात में कोई स्वत्व नहीं हैं। वादग्रस्त आराजीयात सही तरीके से हमारे नाम दर्ज हुई है तथा लम्बे समय से हमारा कब्जा भी हम विपक्षीगण का चला आ रहा। हम खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं।

10. यह कि प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है न ही सुविधा संतुलन ही उनके पक्ष में हैं। रेवेन्यु रेकार्ड में हम विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी अवस्था में हम विपक्षीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस हैं। हमारे विरूद्व कोई वाद/प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं होता सारे कथन गलत अंकित किये हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे व हम विपक्षीगण को 20,000/– रूपये हर्जा प्रार्थीगण से दिलाया जावें।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:54 IST
Reason: SelfAttested

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मारूवास हल्का नउवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 203 पर दर्ज आराजी नम्बर 482 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदारो के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 482 वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी तथा आराजी नम्बर 478 विपक्षीगण के पिता भूरसिंह एवं जगनाथ सिंह के नाम दर्ज थी। भू–प्रबंध विभाग के खसरा परिशोधन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि गत बन्दोबस्त के सम अदल बदल हो गया है। कब्जे अनुसार आराजी नम्ब्र 478 देवीसिंह पिता डुंगरसिंह के हिस्से तथा आराजी नम्बर 482 भूरसिंह पिता डुंगर सिंह तथा जगनाथ सिंह की मृत्यु के कारण डाउ बेवा जगनाथ के नाम दर्ज कराने की आज्ञा करावें। जिस पर वादीगण के पिता देवीसिंह, डाउ, विपक्षी संख्या 1 से 5 पिता भूरसिंह के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त अदला बदली में प्रार्थीगण के पिता के द्वारा सहमति प्रदान कर करवाई गई। विरास्त से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हुई है। रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता है। रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तो उन्हे अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:54 IST
Reason: SelfAttested